


बिहार सरकार
वित्त विभाग

-:: निविदा सूचना ::-

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालय भवनों/परिसरों की सफाई कार्य श्रमिक संविदा के आधार पर कराने के निमित्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। मुहरबंद निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 21.06.2018 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक- 22.06.2018 को अपराह्न 3 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। निविदा के संबंध में आवश्यक सूचनायें एवं प्रमुख शर्तें वित्त विभाग के वेबसाइट <http://finance.bih.nic.in> पर उपलब्ध है। श्री विकास कुमार पाण्डेय, अपर सचिव(लेखा), वित्त विभाग से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या-9006732359 पर संपर्क कर किसी बिंदु पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।


(जयन्त कुमार सिंह)
अपर सचिव,
वित्त विभाग।

वित्त विभाग के भवनों/परिसरों की सफाई संबंधी आवश्यक सूचनायें

1. वित्त विभाग के अधीन सफाई हेतु भवनों/परिसरों की सूची:-

(i) वित्त (सांस्थिक वित्त) वित्त विभाग के कार्यालय एवं लोक उद्यम ब्यूरो कार्यालय, (बाथरूम सहित) ललित भवन, बेली रोड, पटना (ii) वित्त विभाग के वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग(बाथरूम सहित) (ट्राजिट हॉस्टल, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना) (iii) उपमुख्य (वित्त) मंत्री का आवासीय कार्यालय एवं परिसर(बाथरूम सहित) (iv) प्रधान सचिव, वित्त विभाग का आवासीय कार्यालय एवं परिसर(बाथरूम सहित) (v) सचिव (संसाधन) वित्त का आवासीय कार्यालय एवं परिसर(बाथरूम सहित) (vi) सचिव (व्यय) वित्त का आवासीय कार्यालय एवं परिसर(बाथरूम सहित) (vii) मुख्य सचिवालय परिसर स्थित चालकों के विश्राम गृह (बाथरूम सहित) (viii) निगरानी शाखा (प्रशाखा-11)(बाथरूम सहित) वित्त विभाग (ix) सचिवालय विस्तारीकरण के तहत ब्लॉक सं0- 3 के भूतल अंश पर वित्त विभाग को आवंटित कार्यालय (बाथरूम सहित) ।

2. निविदा की प्रमुख शर्तें:-

- (i) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षों का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा ।
- (ii) किलिनिंग एजेंसी/संस्थान को भारतीय श्रम नियम के तहत बिहार सरकार के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है ।
- (iii) किलिनिंग एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा ।
- (iv) एजेंसी/संस्थान द्वारा विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
- (v) साफ-सफाई का दर वर्गफूट प्रतिमाह के आधार पर मान्य होगा । साफ-सफाई की दर भीतरी परिसर एवं बाहरी परिसर का अलग-अलग निविदा में उल्लेख करना होगा । (Annexure-A के Format में)
- (vi) उक्त कार्यालय/आवासीय कार्यालय एवं परिसर का स्थान परिवर्तित होने अथवा नये कार्यालय जुड़ने पर भी सफाई कार्य उसी शर्तों के अधीन करना होगा ।
- (vii) कक्षों एवं कमरों की झोल, खिड़की तथा बाथरूम की सफाई प्रतिदिन करनी होगी ।
- (viii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, खास एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
- (ix) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ-सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा ।
- (x) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करा कर अवर सचिव(लेखा) के पास जमा करना होगा ।
- (xi) सफाई करने का जो भी दर निर्धारित किया जायेगा, वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए प्रभावी होगा । वित्त विभाग चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वित्त विभाग निविदा को समाप्त कर सकती है ।
- (xii) यदि चयनित एजेंसी के साफ-सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी । यदि हजनि की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग चयनित एजेंसी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हजनि के राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी ।

TS

- (xiii) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार वित्त विभाग को सुरक्षित होगा ।
- (xiv) निविदा के साथ निम्न कागजात के हस्ताक्षरित प्रति संलग्न रहना चाहिये:-
- क. PAN कार्ड का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
- ख. GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
- ग. किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र ।
- घ. भारतीय श्रम अधिनियम के तहत बिहार सरकार के अंतर्गत निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
- ड. विगत तीन वर्षों में किसी दो वर्ष का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
- च. GST के अंतर्गत 01.07.2017 से दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।
- छ. Earnest Money Deposit के रूप में 10,000 (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट ।
- (xv) सभी पृष्ठों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना चाहिये ।
- (xvi) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः "तकनीकी निविदा: वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु" एवं "वित्तीय निविदा: वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु" लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग-अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर " निविदा: वित्त विभाग में साफ-सफाई के कार्य हेतु" लिखा होना चाहिये ।
- (xvii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी । निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस तरह भेजा जाना चाहिये कि विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाय । निविदादाता हाथों हाथ भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में निविदा जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं ।

Annexure-A

सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम.....

पूर्ण पता-.....

दूरभाष संख्या-.....

PAN संख्या-..... GST संख्या-.....

सफाई का दर-

भीतरी परिसर(रूपया प्रति वर्ग फुट प्रति माह, सफाई सामग्री सहित)	बाहरी परिसर(रूपया प्रति वर्ग फुट प्रति माह, सफाई सामग्री सहित)

निविदादाता का हस्ताक्षर

TS-1